रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936
No. 537] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014

सं. 31 /2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 730(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 651 (अ) के अंतर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 27/2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में :—

i. सारणी III (क) में, —

(क) मुंबई-II के संबंध में, क्रम संख्या 15 में, कॉलम (3) में, वर्ण 'एम' के स्थान पर ''एम (ई), एम (डब्ल्यू) और'' वर्ण, कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) बड़ोदरा-II के संबंध में, क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में, ''पंचमहल और दाहोद'' शब्दों के पश्चात् माहीसागर जिले के तालुक अर्थात् कदाना, खानपुर, लुनावाडा और संतरामपुर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

ii. सारणी III (ख) में,—

(क) आनन्द के संबंध में, क्रम संख्या 6 में, कॉलम (3) में, ''आनन्द और खेडा'' शब्दों के पश्चात् ''माहीसागर जिले का बालासिनोर और वीरपुर तालुका'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) सिलीगुड़ी के संबंध में, क्रम संख्या 83 में, कॉलम (3) में, ''जलपाई गुड़ी'' शब्द के पश्चात् ''अलीपुर द्वार'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 96/42/2014- सीएक्स-1]

पंकज जैन, अवर सचिव

टिप्पणी : दिनांक 16 सितम्बर, 2014 की प्रधान अधिसूचना सं. 27/2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 651(अ), के अंतर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2014

No. 31/2014–Central Excise (N.T.)

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2014-Central Excise (N.T.), dated the 16th September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 651(E), dated the 16th September, 2014, namely:—

In the said notification,—

(i) in Table III (A),—

(a) against serial number 15 relating to Mumbai-II, in column (3), for letter "M", the letters, brackets and word "M(E), M(W) and" shall be substituted;

(b) against serial number 23 relating to Vadodara-II, in column (3), after the words "Panchmahal and Dahod", the words "Talukas namely, Kadana, Khanpur, Lunavada and Santrampur of Mahisagar District" shall be inserted;

(ii) in Table III (B),—

(a) against serial number 6 relating to Anand, in column (3), after the words "Anand and Kheda", the words "Balasinor and Virpur Talukas of Mahisagar District" shall be inserted;

(b) against serial number 83 relating to Siliguri, in column (3), after the word "Jalpaiguri", the word "Alipurduar" shall be inserted.

[F. No. 96/42/2014 – CX.1]

PANKAJ JAIN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 27/2014-Central Excise (N.T.), dated the 16th September, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 651(E), dated the 16th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.